संख्या-36 /1524 /2024/तीस-1-2024

प्रेषक,

के0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 24 दिसम्बर, 2024

विषय- वित्तीय वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस बेड़े में अतिरिक्त डीजल बसों के क्रय हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-49 एमटी/Govt./2024-211एमटी/91-।।, दिनांक 23.09.2024 के द्वारा बसों के क्रय हेतु अनुपूरक बजट में प्राविधानित धनराशि से 3000 डीजल बसों को क्रय किए जाने हेतु धनराशि रू0 1000.00 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोंपरान्त उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम में 3000 डीजल बसों के क्रय हेतु धनराशि रू0 1000.00 करोड़ पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये संपूर्ण धनराशि रू0 1000.00 करोड़ (रूपये एक हजार करोड़ मात्र) की धनराशि की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(2) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जाएगा।

(3) कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसे भी उ0प्र0रा0स0 परिवहन निगम अपने स्तर से सुनिश्चित कर लेंगे।

(4) परिवहन निगम द्वारा योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

(6) आवंटित धनराशि का व्यय करने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04.03.2024 में दिये गये दिशा निर्देशों तथा क्रय संबंधी मामलों में उद्योग विभाग द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया

जाये एवं जहॉ टेण्डर आदि की आवश्यकता हो वहॉ उसका नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का मासिक विवरण प्रपत्र-बी0एम0-13 में प्रतिमाह वित्त (व्यय-नित्रंयण) अनुभाग-9 एवं परिवहन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) उक्त व्यय के सम्बन्ध में शासन को उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व परिवहन आयुक्त/परिवहन निगम का होगा। उक्त धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त किया जायेगा।

(9) उक्त धनराशि का आवंटन (एलॉटमेण्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनैंशियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(10) उ0प्र0रा0स0 परिवहन निगम द्वारा सुसंगत वित्तीय एवं प्रशासकीय नियमों का तथा क्रियान्वयन के संबंध में संगत पर्यावरणीय नियमों/अधिनियमों/ई0आई0ए0 अधिसूचना 2006 (यथासंशोधित) के अंतर्गत वांछित पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये जाने तथा पर्यावरणीय नियमों एवं मा0 न्यायालयों/न्यायाधिकरणों द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। उक्त के अतिरिक्त पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा दिये निम्नलिखित निर्देश का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाए:-

(क) उ0 प्र0 एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2024 के क्रम में उ0प्र0 राज्य में वायु प्रदूषण की दृष्टि से 17 नॉनअटेनमेन्ट शहर (गाजियाबाद, नोएडा, आगरा, लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ, वाराणसी, अनपरा, बरेली, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, झांसी, गोरखपुर, खुर्जा, रायबरेली, गजरौला, कानपुर) चिन्हित हैं। उक्त शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने की दृष्टि से पब्लिक ट्रान्सपोर्ट को बढ़ावा दिये जाने हेतु और अधिक इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाना आवश्यक है, जिससे वाहन प्रदूषण में कमी की जा सके तथा परिवेशीय वायु गुणवत्ता में सुधार हो सके।

(ख) मा0 वायु गुणवत्ता प्रबन्धन आयोग, नई दिल्ली एन0सी0आर0 द्वारा समय-समय पर वाहनों के संचालन के संबंध में निम्नवत् निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं:-

w.e.f. 01.11.2023, all buses originated from NCR Districts in the respective States and plying to Delhi will either Electric Vehicles or CNG or BS-VI diesel.

Plan and target to achieve that all buses originating or terminating in NCR to operate only on CNG/Electric Vehicle mode by 30.06.2026.

Plan and target substantial number of buses orginating or terminating in NCR to operate only on CNG/Electric Vehicle mode by 30.06.2028.

(ग) एन0सी0आर0, यू0पी0 क्षेत्र के अन्तर्गत जनपद-गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, बुलन्दशहर, हापुड़ तथा शामली में सी0एन0जी0/ इलेक्ट्रिक/बी0एस0 VI-डीजल वाहनों को बढ़ाये जाने हेतु मा0 वायु गुणवत्ता प्रबन्धन आयोग, दिल्ली एन0सी0आर0 के समक्ष परिवहन विभाग, उ0प्र0 द्वारा प्रेषित एक्शन प्लान (संलग्नक-1) के अनुरूप वाहनों की क्रय तय समय-सीमा के अन्तर्गत किया जाए।

(घ) मा0 वायु गुणवत्ता प्रबन्धन आयोग, दिल्ली एन0सी0आर0 द्वारा उ0प्र0 राज्य व अन्य को जारी निर्देश के अनुपालन में राज्य के विभिन्न शहरों से दिल्ली एन0सी0आर0 क्षेत्र में संचालित की जाने वाली बसें सी0एन0जी0/इलेक्ट्रिक/बी0एस0 VI-डीजल ईंधन पर आधारित पब्लिक बसों का इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए।

(ड़) मा0 वायु गुणवत्ता प्रबन्धन आयोग, नई दिल्ली के प्रेस रिलीज दिनांक 20.10.2023 में दिए गए निम्नलिखित निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाये:-

" All buses operating between non-NCR areas of the State to Delhi and NCR areas of other States shall also be ensured through BS-VI diesel compliant buses w.e.f. 01.07.2024.

These Directions would also be applicable to all bus services being operated by respective State PSUs and private entities etc."

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-043 के लेखाशीर्ष 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय 190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-03-उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में अंशपूंजी विनियोजन-30-निवेश/ऋण के नामे डाला जाएगा ।

4- यह आदेश वित्त नियंत्रण अनुभाग-9 के अशासकीय संख्या– E-9-352-X-2024-25- दिनांक: 24-12-2024 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक-यथोक्त।</u>

भवदीय,
ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-36/1524(1)/तीस-1-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ ।
5. वित्त नियन्त्रक, परिवहन आयुक्त, कार्यालय लखनऊ ।
6. वित्त नियन्त्रक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ ।
7. नियोजन अनुभाग-4 ।
8. परिवहन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
9. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन ।
10. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
11. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
12. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
13. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन।
14. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
15. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0 प्र0 शासन।
16. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

ह0/-

(के0पी0 सिंह)

विशेष सचिव।